तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामिल में जारी हुये
13.08.24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी एंव आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर वकील वादी श्री ओमदवे व वकील प्रतिवादी श्री गणपतलाल चौधरी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत कानूनी उद्धहरण आरआरटी 2018 (2) पेज 1207 में प्रतिपादित सिद्धांतों एवं सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 में वर्णित प्रावधानों पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह ज्ञात है कि वादग्रस्त भूमि बाबत इन्हीं पक्षकारों के मध्य पूर्व में इसी न्यायालय में धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दर्ज होकर निस्तारित हो चुका है। जिस वाद में निर्णय दिनांक 30.11.1989 के आधार पर राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज हुये है। जिससे धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि ग्राम कोठार के हाल खसरा नंबर 733/890, 733/2, 733/889 व 733/1 के संवंध में पुनः घोषणात्मक वाद लाने का अधिकारी नहीं रहता है। जिससे प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी सपठित आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुये वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. राधादेवी पुत्री गेनारामजी,
2. कन्नीयादेवी पुत्री गेनारामजी,
3. पोनीदेवी पुत्री गेनारामजी के का.मु.–
   3/1– दिनेश कुमार पुत्र पोनीदेवी
   3/2– गुड्डीयादेवी पुत्री पोनीदेवी
   3/3– रिंकू पुत्री पोनीदेवी
   3/4– उषा पुत्री पोनीदेवी जाति मेघवाल निवासी कोठार तहसील बाली जिला पाली

प्रतिवादीगण :–

1. पूराराम पुत्र अखाराम
2. चुनाराम पुत्र अखाराम के का.मु.–
   2/1–पवनी पुत्री चुनाराम
   2/2–हीरी पुत्री चुनाराम
   2/3–पिंकी पुत्री चुनाराम
   2/4–लक्ष्मी पुत्री चुनाराम
   2/5–सीता पुत्री चुनाराम
   2/6–सकु पत्नि चुनाराम
   2/7–हिम्मताराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी कोठार तहसील बाली जिला पाली
3. मांगीलाल पुत्र गेनाराम जाति मेघवाल निवासी कुमटीया तहसील बाली जिला पाली
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2022/438

वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी सपठित आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13-8-24 को जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

CamScanner